

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-9) विभाग


क्रमांक:-प.35(4)गृह-9/2017 पार्ट-2

जयपुर दिनांक:-23/11/2021

-:आदेश:-

इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.35(1)गृह-9/2006 पार्ट जयपुर दिनांक 02.09.2017, पत्र समसंख्यक दिनांक 22.10.2018, परामर्शदात्री समसंख्यक दिनांक 24.09.2021, पत्र समसंख्यक दिनांक 22.10.2021 को अतिलिखित करते हुये, दूरसंचार अस्थाई सेवा निलम्बन (लोक आपात या लोक सुरक्षा) नियम, 2017 के नियम 2(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य के संभागीय आयुक्त जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर एवं बीकानेर को उनके क्षेत्राधिकार में लोक आपात (public emergency) अथवा लोक सुरक्षा (public safety) की स्थिति में दूरसंचार सेवाओं के अस्थाई निलम्बन की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(अमय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव, दूरसंचार विभाग, दूरसंचार मंत्रालय, संचार भवन, 20 अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ए.टी.एस. एवं एस.ओ.जी.), राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/भरतपुर/अजमेर/बीकानेर को प्रेषित कर अनुरोध है कि, उक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अगर कोई आदेश पारित किया जाता है, तो उसे जनसामान्य के लिये सार्वजनिक किये जाने के लिये अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. महानिरीक्षक पुलिस रैन्ज।
8. समस्त जिला मजिस्ट्रेट।
9. समस्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-6) को प्रेषित कर अनुरोध है कि, इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
12. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव गृह